में कितने पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध न्यायालय में अपराधिक मामले दायर किये गये हैं ; और

(ख) यदि अभी तक कोई मामला दायर नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम जैकब) : (क) और (ख) 1984 के दंगों में अंतर्ग्रस्त पुलिस कार्मिकों से संबंधित 16 मामलों को जांच की जा रही है । इन मामलों में से एक मामले में पुलिस द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजने के बाद, आगे की जांच पड़ताल शुरू की गई है । इसके अतिरिक्त सुश्री मित्तल की रिपोर्ट में बताए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है ।

Functioning of the Crime Branch of Delhi Police

3151. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to streamline the functioning of the Crime Branch of Delhi Police in view of poor rate of crime detection;

(b) if so, the number of cases detected by the Crime Branch during the last one year;

(c) the number of cases handed over to the crime branch for detection by Government during the above period; and

(d) the steps taken by Government to streamline its working?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (d) The Delhi Police have reported that they have submitted a proposal to the Delhi Administration for reorganising the Crime Branch with a view to further improving its functioning.

During 1991, detection rate of the Crime Branch was 92.7 per cent.

The Crime Branch took up for investigation 746 cases during this period.

पुलिस बलों संबंधी समिति

3152. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन : श्री रणजीत सिंह :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों को और अधिक कार्यक्षम बनाने की दृष्टि से किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया था और इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सरकार ने अभी तक ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है ।

Promotion of qualified peons in the M.C.D.

3153. SHRI N. E. BALARAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of peons working in M.C.D. who possess qualifications upto Matric, Higher Secondary, B.A. and above;

(b) whether any of such peons have been promoted to the post of L.D.C. or any other higher post;